

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड, (पूर्व मे मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड), पता –
मेन्टोर, हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कालौनी, जयपुर– 302004, –प्रार्थी

बनाम

श्री सुखदेव गुर्जर पुत्र श्री छोगा गुर्जर, श्रीमती नेनी देवी पत्नि श्री छोगा गुर्जर,
प्लाट न. 88, ग्राम खरनीया, ग्राम पंचायत काकरोड, पंचायत समिति देवगढ,
तहसील देवगढ, जिला–राजसमन्द,
जमानतदार – श्री देवी लाल पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम खरनीया, ग्राम पंचायत
काकरोड, पंचायत समिति देवगढ, तहसील देवगढ, जिला–राजसमन्द
–ऋणी/जमानतदार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 53/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाए जारी की गई
	<p>दिनांक 29.12.2020</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 05.11.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वित्तीय संस्था ने ऋणी श्री सुखदेव गुर्जर पुत्र श्री छोगा गुर्जर, श्रीमती नेनी देवी पत्नि श्री छोगा गुर्जर, प्लाट न. 88, ग्राम खरनीया, ग्राम पंचायत काकरोड, पंचायत समिति व तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द, जमानतदार श्री देवी लाल पुत्र श्री सोहन लाल को रूपये 2,50,000/- का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को विष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :- अचल सम्पत्ति :- पट्टा नं. 88, ग्राम खरनीया, ग्राम पंचायत काकरोड, पंचायत समिति/तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द मे स्थित है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को वित्तीय संस्था के द्वारा नियमानुसार दिनांक 20.05.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 26.11.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि 21.11.2019 को रूपये 3,69,320/- ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण</p>	



निम्न है:- अचल सम्पत्ति :- पट्टा नं. 88, ग्राम खरनीया, ग्राम पंचायत काकरोद, पंचायत समिति/तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द मे स्थित है। इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है। उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा वित्तीय संस्था को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारन्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 26.11.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :- अचल सम्पत्ति :- पट्टा नं. 88, ग्राम खरनीया, ग्राम पंचायत काकरोद, पंचायत समिति/तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द राजस्थान मे स्थित है, इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है। उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द